# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 924/2016/भरतपुर.**

मैसर्स लाईटन इण्डिया कॉन्ट्रेक्टस प्रा.लि.,
ग्राम–नागना, मथुरा गेट के बाहर, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–द्वितीय, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

**खण्डपीठ**
**श्री के. एल. जैन, सदस्य**
**श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 11/10/2017**

## निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 50/सीएसटी/15–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 25 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 27.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी की ओर से केवल इस तथ्यात्मक बिन्दु पर बहस की गई है कि अपीलार्थी का उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश जो वर्ष 2012–13 के लिये दिनांक 27.03.2015 को पारित किया गया है वह खरीद या बिक्री के संव्यवहारों को समझे बिना किया गया एवं रुपयें 1,70,73,975/– का अन्तर्राज्यीय ब्रांच ट्रांसफर मानकर उसके समर्थन में फार्म के अभाव में 14 प्रतिशत से करारोपण किया गया जबकि तथ्य यह है कि माल अन्य राज्य से राज्य में ट्रांसफर है अर्थात् वह inward transaction है न कि राज्य के बाहर भेजे गये माल की कीमत है कर निर्धारण आदेश तथ्यों के विपरीत किया गया है अर्थात inward

**लगातार.....2**

राशि को Outward branch transfer बता दिया गया है जिस पर अपीलीय अधिकारी ने भी केवल यह निर्णय दिया है कि **'एफ' फार्म** आवश्यक है जबकि माल के राज्य के बाहर जाने का मामला ही नहीं था इस तरह गलत रुप किये गये कर निर्धारण अपास्त करने के निवेदन कि साथ ही उनके कथन की पुष्टि हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का भी निवेदन किया। विभागीय अभिभाषक ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर पुनः जांच कराये जाने की सहमति दी है। प्रकरण में तथ्यों से सम्बन्धित उत्पन्न विवाद के समाधान हेतु कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश अपास्त कर प्रकरण कर अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त विवाद के सम्बन्ध में तथ्यों की जांच लेखा पुस्तकों से कर पुनः आदेश पारित करें फलतः अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

11/10/2018

( मदल लाल मालवीय )
सदस्य

( के. एल.जैन )
सदस्य